

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं0 8(22)चिस्वा/2/2014 Pt-I

जयपुर, दिनांक 13/6/2017

—:आदेश:—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में किये गये संशोधन अनुसार नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में निम्न वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 11.07.2011 को 12 वर्ष ओर अधिक तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उप निदेशक एवं समकक्ष पदों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:—

S.No.	Name of Medical Officer	Category	Date of Birth	Year of RPSC	Date of 1st DACP	Second Promotion Date
1	SAROJ JAIN	GEN	20.12.60	1990-R	11.07.11	01.04.14
2	RAJA MUKHERJEE	GEN	12.03.64	1996-R	11.07.2014 (3 AGI CE)	01.04.17

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी यथास्थान पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव